8/9/22 वादी अधिवक्ता ने पत्रावली तलब कर वाद पत्र विड्रोल करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पत्रावली आज तारीख पर ली गई एवं वादी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है इसीलिए वाद-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते है अत: पत्रावली जरिए विड्रोल खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, मौलिक

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलेक्टर एवम्

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां।

वाद पत्र संख्याः–95 / 2017

तारीख पेशी– 22.09.2020

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

रूपदान उच्छब कंवर वगैरा

पत्रावली तलब कर वाद पत्र विड्रोल करवाने बाबत्।

मान्यवरजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वादी की ओर से निवेदन है किः–

1. यह है कि वादी ने माननीय न्यायालय हाजा में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी का रूपदान बनाम उच्छब कंवर वगैरा प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। जिसकी तारीख पेशी 22.09.2020 मुकर्रर है।
2. यह है कि वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा अब वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसलिए वादी उक्त पत्रावली आज ही तलब कर अपना वाद पत्र विड्रोल करना चाहता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को पत्रावली तलब कर विड्रोल के निस्तारण फरमाया जावें।

दिनांकः– 9/9/2020

वादी जरिये अधिवक्ता

Adv. Raj Endra Kumar Choudhary

Scanned with CamScanner